प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **44/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

अजय मोड़ पुत्र जगदीश मोड़ पताः वार्ड न. 7, एल क्वाटर के पास सज्जननगर, मुल्ला तलाई, गिर्वा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2024 एवं 21.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को भिजवाये गये प्रत्युतर एवं सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/44/25/314–15 दिनांक 25.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/46 दिनांक 21.04.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय कानोड़ में सूचना चाहने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। चाही गई सूचना तहसील कार्यालय वल्लभनगर से संबंधित होने से इस कार्यालय में अंतरित किया गया। आवेदन के अंतर्गत चाही गई सूचना से संबंधित रिकार्ड संबंधित शाखा में खोजने पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, जिसके संबंध में कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2025/35 दिनांक 04.03.2025 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिलने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकॉर्ड की गहन खोज कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये। रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये तथा रिकॉर्ड संधारित करने से संबंधित

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के भीतर न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर